

राजस्थान सरकार
मंत्रीमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प. 5(1)म.म. / 2014

जयपुर, दिनांक : 14-04-2018

आज्ञा

मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित चामुण्डा माता मन्दिर में दिनांक 30 सितम्बर, 2008 को हुई भगदड़ के कारणों एवं अन्य समस्त पहलुओं की जाँच हेतु आदेश क्रमांक प.32(2)गृह-9/2008 दिनांक 02-10-2008 द्वारा न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा (सेवानिवृत्त), राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन जाँच आयोग का गठन किया था।

न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा आयोग द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण करने एवं अपनी अभिशंषा मंत्रीमण्डल को प्रस्तुत करने हेतु मंत्री परिषद् के निम्न सदस्यगण की मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:—

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. श्री गुलाब चन्द कटारिया, | माननीय मंत्री, गृह और न्याय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, कारागार, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग |
| 2. श्री यूनुस खान, | माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग |
| 3. डॉ. रामप्रताप, | माननीय मंत्री, जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास और जल उपयोगिता विभाग |

उक्त मंत्रीमण्डलीय उप समिति एक माह में अपनी अभिशंषायें मंत्रीमण्डल को प्रस्तुत करेंगी।

उक्त मंत्रीमण्डलीय उप समिति का प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप-9) विभाग होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,

४

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट राहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव